संख्या सा-3-1137/दस-908-90

प्रेषक;

श्री भोला नाथ तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक 25 जून, 1991 ।

विषय :--नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन सेवानिवृत्ति के बाद किये गये विवाह को पारिवारिक पेंशन हेतु मान्यता ।

महोदय,

वित्त (साधारण) अनुभाग-3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 से सम्बन्धित शासनादेश संख्या जी-2-769/दस-917-61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 के प्रस्तर 3 (ख) के नीचे दी गई टिप्पणी-2 की व्यवस्था के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद किया गया विवाह इस योजना के प्रयोजनों के लिये मान्य नहीं समझा जायेगा । शासन के सम्मुख कतिपय ऐसे मामले संदर्भित हुए हैं जिनमें सरकारी सेवकों ने सेवा-निवृत्ति के उपरान्त विवाह किया है और वे इस प्रकार के पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य कराये जाने पर बल दे रहे हैं । इसी तरह के एक मामले में मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णयोपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कुटुम्ब पेंशन योजना, 1964 की सुविधा का लाभ सेवानिवृत्ति के बाद के दम्पत्ति के लिये भी पेंशन भोगी की मृत्यु के ठीक बाद की तारीख से स्वीकृत किया गया है ।

2--अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश दिये हैं कि यदि इस राज्य के किसी सरकारी सेवक ने अपनी सेवानिवृत्ति के उपरान्त विवाह किया है तो पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, को भी नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन अनुमन्य लाभ तथा पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी । इस सुविधा का लाभ पेंशन भोगी की मृत्यु के ठीक बाद की तारीख से देय होगा ।

3--उपरोक्त सुविधा शासनादेश संख्या जी-2-769/दस-917-61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 के प्रभावी होने की तिथि अर्थात् दिनांक 1-4-1965 से अनुमन्य मानी जायेगी तथा उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

4--उपरोक्त प्रकार के मामलों के निस्तारण के संबंध में शेष प्रक्रिया एवं पत्रव्यवहार वही अपनाये जायेंगे जो पारिवारिक पेंशन के सामान्य मामलों में व्यवहृत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

भोला नाथ तिवारी,
प्रमुख सचिव ।

संख्या सा-3-1137 (1)/दस-908-90 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
2--विधान सभा/विधान परिषद्, राज्यपाल सचिवालय ।
3--महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद ।
4--पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5--समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश ।
6--निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण केन्द्र, जवाहर भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से,

गणेश दत्त दीक्षित,
संयुक्त सचिव ।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 49 सा० वित्त--19-8-91-(1232)--1991--11,000 (हि०) ।